

**( वीरेन्द्र कुमार सिंह शिक्षण संस्थान की बैठक दिनांक 06.05.2022 का कार्यवृत्त**

दिनांक 02.06.2022 को प्रसारित सूचना के आधारित एजेण्डा के आलोक में आज दिनांक 06.05.2022 को वीरेन्द्र कुमार सिंह शिक्षण संस्थान, ग्राम व पोस्ट गाजीपुर, तहसील सिरौलीगौसपुर, जिला बाराबंकी, उ.प्र. के प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक अध्यक्ष श्रीमती आशा सिंह की अध्यक्षता में वीरेन्द्र कुमार सिंह शिक्षण संस्थान के बैठक कक्ष में प्रातः 10.00 बजे निम्नलिखित एजेण्डा के आलोक में बैठक आरम्भ हुई।

**एजेण्डा:-**

- 1- प्रबन्धकारिणी समिति की पिछली बैठक की पुष्टि हेतु प्रस्ताव।
- 2- पूर्व में प्रस्तावित डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी कॉलेज की स्थापना की अनुमति का प्रस्ताव।
- 3- अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से।

क्रमांक	नाम	पद	हस्ताक्षर
1-	श्रीमती आशा सिंह	अध्यक्ष	आशा सिंह
2-	श्री मनीष कुमार सिंह	प्रबन्धक	
3-	श्री प्रान्जल सिंह	सचिव/उपप्रबन्धक	
4-	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	कोषाध्यक्ष	
5-	श्रीमती स्वेता सिंह	सदस्य	
6-	नेहा सिंह	सदस्य	
7-	श्री अशोक कुमार सिंह	सदस्य	
8-	श्री अतुल सिंह	सदस्य	
9-	शिखा सिंह	सदस्य	

गणपूर्ति को ध्यान में रखते हुये अध्यक्ष महोदया ने कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की। बैठक कार्यवाही आरम्भ हुई:-

**प्रस्ताव-1-** प्रबन्धकारिणी समिति की पिछली बैठक कार्यवाही प्रबन्धक श्री मनीष कुमार सिंह ने पढ़कर सुनाया। उपस्थित सभी सदस्यों ने पिछली कार्यवाही की पुष्टि की।

**प्रस्ताव-2-** श्री प्रान्जल सिंह, सचिव ने सभा को यह अवगत कराया कि समाज हित को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा पूर्व में डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी कॉलेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव किया गया था जिसके क्रम में समिति द्वारा हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल की गयी है। अतः समिति द्वारा ग्राम गाजीपुर, परगना दरियाबाद, जिला बाराबंकी में एक डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी कॉलेज की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रस्ताव किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

**अनुमोदन-** (उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्व सम्मति से ग्राम गाजीपुर, परगना दरियाबाद, जिला बाराबंकी में डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी कॉलेज की स्थापना के इस प्रस्ताव का समर्थन किया) और स्थापना सम्बन्धी कार्यवाही हेतु प्रबन्धक श्री मनीष कुमार सिंह को अधिकृत किया तथा उक्त कॉलेज की स्थापना में जैसे-भूमि, भवन, फर्नीचर, बेटन, आदि मदों में व्यय हेतु समिति के कोष से धन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया एवं इन कार्यों हेतु भी प्रबन्धक श्री मनीष कुमार सिंह को अधिकृत किया गया।

वीरेन्द्र कुमार सिंह  
प्रबन्धक

वीरेन्द्र कुमार सिंह शिक्षण संस्थान

**प्रस्ताव-3-** श्रीमती स्वेता सिंह, सदस्य ने प्रस्तावित डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी कॉलेज के नामकरण की आवश्यकता से अवगत कराया तथा प्रस्तावित संस्थान हेतु 'रामार्पित कॉलेज ऑफ फार्मसी' (Ramarpit College of Pharmacy) नाम प्रस्तावित किया।

**अनुमोदन-** उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी कॉलेज का नाम 'रामार्पित कॉलेज ऑफ फार्मसी' (Ramarpit College of Pharmacy) रखने का समर्थन किया।

**प्रस्ताव-4-** श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष ने यह प्रस्ताव किया कि प्रस्तावित कॉलेज हेतु भूमि चिन्हित कर दिया जाय तथा ग्राम गाजीपुर, परगना दरियाबाद, जिला बाराबंकी में उपलब्ध समिति की भूमि गाटा सं.-1068 रकबा-1.200 हेक्टेयर में से 0.800 हेक्टेयर (2.0 एकड़) को उक्त प्रस्तावित डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी कॉलेज हेतु चिन्हित कर दिया जाय।

**अनुमोदन-** उपस्थित सभी सदस्यों के सम्मत विचारोपरान्त सर्व सम्मति से ग्राम गाजीपुर, परगना दरियाबाद, जिला बाराबंकी में उपलब्ध समिति की भूमि गाटा सं.-1068 रकबा-1.200 हेक्टेयर में से 0.800 हेक्टेयर (2.0 एकड़) को 'रामार्पित कॉलेज ऑफ फार्मसी' (Ramarpit College of Pharmacy) के निर्माण एवं संचालन हेतु चिन्हित किया तथा प्रबन्धक श्री मनीष कुमार सिंह को उक्त भूमि पर निर्माण व संचालन एवं सभी विधिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया।

**प्रस्ताव-5-** श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य ने प्रस्तावित 'रामार्पित कॉलेज ऑफ फार्मसी' (Ramarpit College of Pharmacy) के सुगम संचालन एवं प्रबन्धन हेतु समिति के प्रबन्धक श्री मनीष कुमार सिंह को उक्त कॉलेज के संस्था प्रमुख/प्रबन्धक (Head of Institution/Manager) के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया।

**अनुमोदन-** उपस्थित सभी सदस्यों ने विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रबन्धक श्री मनीष कुमार सिंह को प्रस्तावित 'रामार्पित कॉलेज ऑफ फार्मसी' (Ramarpit College of Pharmacy) के संस्था प्रमुख/प्रबन्धक (Head of Institution/Manager) के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव का समर्थन किया तथा अध्यक्ष महोदया ने नियुक्ति पर अपना अनुमोदन दिया तथा अध्यक्ष महोदया के अनुमोदन से सभा ने प्रस्तावित 'रामार्पित कॉलेज ऑफ फार्मसी' (Ramarpit College of Pharmacy) की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही, विधिक एवं सामान्य सभी प्रक्रियाओं के निष्पादन एवं सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत एवं निर्देशित किया।

अन्य विषय/प्रस्ताव न होने की स्थिति में अध्यक्ष महोदया को धन्यवादोपरान्त सभा की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

रजिस्ट्रार  
राज्यपाल, गाजीपुर, प्रमुख, जिला

  
प्रबन्धक  
वीरेन्द्र कुमार सिंह शिक्षण संस्थान